

603

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: एफ.3(1201)नविवि/3/2012पार्ट

20 MAY 2017

जयपुर, दिनांक: 20-5-2017

आदेश

मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के अन्तर्गत आमजन की समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु एतद्वारा निम्न आदेश प्रदान किये जाते हैं :-

(1) वज्रवृत्त 2017-18 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई घोषणा के क्रम में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(1201)नविवि/3/2012 दिनांक 09.03.2017 से ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. के आवंटित आवासों के दिनांक 01.01.2001 से बकाया राशि दिनांक 31.12.2017 तक जमा कराने जाने पर ब्याज व पेनल्टी में शत-प्रतिशत छूट दी गई है।

इस संदर्भ में नगर विकास न्यासों द्वारा दिनांक 01.01.2001 से पूर्व के आवंटित आवासों के नियमन करने बाबत नियमन/बहाली बाबत आदेश चाहे हैं।

इस संदर्भ में निम्न स्तर पर लिये गये निर्णय के अनुसार निर्देशित किया जाता है कि ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. के आवंटित आवासों बाबत दिनांक 01.01.2001 के पूर्व के प्रकरणों में उत्तरे नियमन/बहाली मोक पर आवंटी का कब्जा होने व दिनांक 01.01.2001 के पश्चात् आमसा पर उत्तरे वाली राशि की गणना कर जमा कराने पर उत्तरे आवंटन निस्तारण किया जावे। इसका आशय यह है कि 2001 में यदि आवास का आवंटन होता उस दिनांक में जो राशि लगती, उसी राशि को नियमन/बहाली का आधार माना जावे। मूल आवंटी की मृत्यु होने पर उसके समस्त विधिक उत्तराधिकारियों के नाम यह नियमन/बहाली किया जा सकता है।

(2) वर्तमान में भूखण्डों के उपविभाजन/पुर्नगठन हेतु 1500 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल भूमि पर निम्नलिखित प्रकरणों का निस्तारण हेतु प्रेषित किया जाता है। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित कारणों के कारण प्रकरणों का निस्तारण मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना से नहीं किया जाना समर्थ नहीं होने के कारण उपविभाजन/पुर्नगठन के 3000 वर्ग मी. क्षेत्रफल तक के भूखण्डों का निस्तारण स्थानीय स्तर पर गठित एम्पावर्ड कमिटी के स्तर पर ही किये जा सकते हैं ताकि उपविभाजन/पुर्नगठन संबंधित प्रकरणों का निस्तारण मुख्यमंत्री जन कल्याण शिष्टियों की अवधि में ही किया जावे।

(3) राजस्थान पुधार न्यास (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम 1974 के नियमों के अन्तर्गत प्राधिकरण/न्यास द्वारा आवंटित/निलामी में विक्रय किये भूखण्डों पर निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निरस्त होने का प्रावधान है।

ऐसे प्रकरणों में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि दिनांक 31.12.2017 तक

निर्धारित राशि जमा करायी जाकर निर्माण अवधि प्राधिकरण/न्यास स्तर पर बढ़ायी जावे।

- (4) प्राधिकरण/न्यास की योजनाओं में आवंटन के पश्चात पट्टा जारी होने से पूर्व ही फ्लेट अथवा भूखण्ड का विक्रय कर दिया जाता है। ऐसे प्रकरणों में अंतिम केता से आरम्भित कर की 10 प्रतिशत राशि पैनल्टी के रूप में लेकर पट्टा जारी करने की छूट प्रदान की जाती है।

- (5) दिनांक 17.06.1999 से पूर्व अस्तित्व में आयी आवासीय योजनाएँ जिनमें 10 प्रतिशत से कम निर्माण था परन्तु वर्तमान में उनमें निर्माण 10 प्रतिशत से अधिक है ऐसी योजनाओं में यह सन्निहित करते हुए कि आवासीय योजना दिनांक 17.06.1999 से पूर्व की है तथा वर्तमान में निर्माण 10 प्रतिशत से अधिक है ऐसी कालोनियों को नियमित किया जावे।
उक्त निर्णय सहायक स्तर पर अनुमोदित है।

(संयुक्त सचिव, राजस्थान)

संयुक्त शासन सचिव, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनाएँ प्रेषित है—

- (1) विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महादय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
- (2) निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
- (3) निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
- (4) आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/उज्जैन विकास प्राधिकरण।
- (5) सचिव, जयपुर/जोधपुर/उज्जैन विकास प्राधिकरण।
- (6) समस्त अध्यक्ष/सचिव, नगर विकास न्यास।
- (7) निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
- (7) संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
- (8) वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
- (9) अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
- (10) वरिष्ठ उपाय शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- (11) उप विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
- (11) रक्षित पत्रावली।

(संयुक्त शासन सचिव, जयपुर)